न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 69/21

GCMS NO 2021/92

1. मनफूल पुत्र स्व.मूला जाति जाटव(बैरवा) निवासी धूगड तहसील करौली हालवास पैटोली तहसील व जिला करौली (फौत)
   1/1. रूपनारायण पुत्र स्व.मनफूल जाति जाटव निवासी हालवासी पैटोली तहसील करौली
   1/2. निरंजन पुत्र स्व.मनफूल जाति जाटव निवासी हालवासी पैटोली तहसील करौली
   1/3. नरसी पुत्र स्व.मनफूल जाति जाटव निवासी हालवासी पैटोली तहसील करौली
   1/4. धनेसरी पुत्री स्व.मनफूल जाति जाटव निवासी हालवासी पैटोली तहसील करौली
   1/5. सगय बाई पुत्री स्व.मनफूल जाति जाटव निवासी हालवासी पैटोली तहसील करौली
   1/6. पतिदेवी पत्नि स्व.मनफूल जाति जाटव निवासी हालवासी पैटोली तहसील करौली
2. जगराम पुत्र स्व.मूला जाति जाटव निवासी घूगढ तहसील करौली हालवासी पैटोली तहसील व जिला करौली (फौत)
   2/1. श्रीफूल पुत्र स्व.जगराम जाति जाटव हालवासी पैटोली तहसील करौली
   2/2. श्रीमोहन पुत्र स्व.जगराम जाति जाटव हालवासी पैटोली तहसील करौली
   2/3. उदयराज पुत्र स्व.जगराम जाति जाटव हालवासी पैटोली तहसील करौली
   2/4. रिकेश कुमार पुत्र स्व.जगराम जाति जाटव हालवासी पैटोली तहसील करौली
   2/5. गोरंती पुत्री स्व.जगराम जाति जाटव हालवासी पैटोली तहसील करौली
   2/6. हल्की देवी पुत्री स्व.जगराम जाति जाटव हालवासी पैटोली तहसील करौली
   2/7. रामपति पत्नि स्व.जगराम जाति जाटव हालवासी पैटोली तहसील करौली
3. परसादी पुत्र विशनी जाति जाटव निवासी गज्जूपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
4. दोज्या पुत्र विशनी जाति जाटव निवासी गज्जूपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
5. कमल पुत्र विशनी जाति जाटव निवासी गज्जूपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
6. मौजी पुत्र विशनी जाति जाटव निवासी गज्जूपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
7. केदार पुत्र रामसहाय जाति खटीक निवासी खोहरी तहसील व जिला करौली

अपीलांटगण

बनाम

1. धन सिह पुत्र ठंडी जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
2. गुनीराम पुत्र ठंडी जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
3. सुनीता पुत्र ठंडी जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
4. रेशम पत्नि स्व.रामसिह जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
5. विजय सिह पुत्र स्व.रामसिह जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
6. जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र स्व.रामसिह जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
7. सीमा पुत्री स्व.रामसिह जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
8. कंचन पत्नि स्व.ठंडी जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
9. रामस्वरूप पुत्र केशो जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
10. पूरन पुत्र बद्री जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
11. अमृतलाल पुत्र स्व.बद्री जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
12. गुडडी पुत्री स्व.बद्री जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

13. भीरा पुत्री स्व.बद्री जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
14. लखन बाई पुत्री स्व.बद्री जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
15. सोमोती पत्नि स्व.बद्री जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
16. जगन पुत्र लटूरा जाति बैरवा निवासी धूगड तहसील व जिला करौली
17. शोभाबाई पत्नि पसीदा जाति जाटव निवासी ग्राम मंहार तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
18. मोटा बाई पत्नि श्रीलाल निवासी खोहरी तहसील व जिला करौली(फौत)
18/1. रामसिह पुत्र स्व.श्रीलाल जाति जाटव निवासी खोहरी तहसील व जिला करौली
19. हरि पुत्र मन्नू निवासी भोलुपुरा पो0मकनपुर तहसील व जिला करौली
20. रामप्रसाद पुत्र दौली जाति जाटव निवासी भायपुर तहसील व जिला करौली
21. रामेश्वर पुत्र दौली जाति जाटव निवासी भायपुर तहसील व जिला करौली
22. किरोडी पुत्र दौली जाति जाटव निवासी भायपुर तहसील व जिला करौली
23. धनश्याम पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी भायपुर तहसील व जिला करौली
24. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 19/20 निर्णय दिनांक 19.4.21 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली)
अभिभाषक अपीला0 श्री एस.एस.शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री हेमराज सैनी

दिनांक 23.02.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 19.4.21 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 ता 16 द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 20. 63,70,97,108,109,115,116,120,122 व 124 कुल किता 11 कुल रकबा 14 बीघा 8 विस्वा वाके ग्राम धुगड तहसील करौली मे स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से स्पष्ट है। गेरसायलान को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13.3.2001 को रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत रखने के आदेश हो चुके है। जो न्यायिक है। किन्तु गैरसायलान आदेश की गलत तरीके से व्याख्या कर विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियो को रहन व्यय करने पर तुले हुए है। इससे प्रार्थीयान के हक हकूको पर भारी आघात है और राजस्व मण्डल मे भी इनके हक मे हुई डिक्री निरस्त हो चुकी है। धारा 52 टी पी एक्ट के तहत दौराने दावा रहन बय करने का गैरसायलान को कोई हक प्राप्त नही है। फिर भी गैरसायलान गांव के कई व्यक्तियो से जमीन को विक्रय करने की बात कर चुके है। अगर दौराने दावा विवादित जमीन का विक्रय हो गया तो प्रकरण मे पैचदगी होगी । ऐसी स्थिति मे दौराने दावा गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अति आवश्यक है कि दौराने दावा विवादित आराजीयात को ताफैसला दावा दीगर व्यक्तियो को रहन बय वसीयत ना करने के लिए पाबंद किया जावे। दौराने दावा व दौराने स्थगन गैर सायल संख्या 1 व 2 ने खसरा न0 109 रकबा 1 बीघा 12 विस्वा वाके ग्राम धूगड तहसील करौली मे से 1/2 हिस्से की भूमि का अवैध बेचान सायलान के हक हकूको पर बेअसर व शून्य है। धारा 52 टी पी एक्ट के तहत दिया गया बयनामा सायलान पर बेअसर है। अतः गैरसायलान को विवादित आराजीयात की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने तथा रहन बय एवं वसीयत नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायलान/रेस्पो0 संख्या 1 ता 16 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण /गैरसायलान संख्या 1 ता 6 तथा 15 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल, परवस रेस्पो0, खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात खसरा न0 20.63,70,97,108,109,115,116,120,122 व 124 कुल किता 11 कुल रकबा 14 बीघा 8 विस्वा वाके ग्राम धुगड तहसील करौली मे स्थित है। अपीलांट गैरसायलान के नाना पून्या व रामहेत के समय की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। जिनसे रेस्पो0 संख्या 1 ता 16 अथवा इनके पूर्वजो का किसी प्रकार का कोई खातेदारी काश्तकारी सबंध नही रहा है। पून्या के मात्र दो लडके सांवलिया व रामहेत थे व तीन लडकिया भौरी मां अपीलांट, गुल्लो व लौहडी थी। रामहेत के मात्र तीन लडकिया विशनी ,किशनी व दौली थी। सांवलिया की शादी ही नही हुई थी और वह अविवाहित था एवं अविवाहित ही फौत हो गया। पून्या के खानदान मे कोई नरीना संतान वंश चलाने वाला व उसकी जायदाद को संभालने वाला नही होने से पून्या अपने जीवनकाल मे अपनी पुत्री भौरी मां अपीलांट संख्या 1 व 2 का व अपीलांट को ग्राम पैटोली से धूगड ले आया और अपने जीवनकाल मे ही समस्त जमीन जायदाद पर काबिज करा दिया। गुल्लो व लौहडी अपने ससुराल मे रही व रामहेत व सांवलिया ने भी दिनांक 17.12.67 को ग्राम पंचायत मे दरखास्त देकर अपीलांट व अपीलांट की मां भौरी को ही अपना वारिस घोषित कर दिया । रामहेत व सांवलिया दोनो ही अपीलांट न0 1 व 2 के साथ शामिल रहे व अपीलांट ने ही उनके कियाकर्म अंतिम संस्कार किये। उनकी पगडी भी अपीलांट के बंधी। इस प्रकार अपीलांट एक मात्र पून्या के वारिस काबिज जायदाद हो गये। सांवलिया,रामहेत के सारे हक हकूक भी उनके जीवनकाल मे अपीलांट मे निहित हो गये। गुल्लो व लोहडी इन जमीनो पर कभी काबिज नही रही और उनके सारे हक हकूक अपीलांट न0 1 व 2 मे निहित हो गये। गुल्लो व लोहडी मे रामहेत की लडकिया विशनी, किशनी व दौली को भात ,जामने इत्यादि सारे सामाजिक कार्य जो पिता पक्ष द्वारा निभाये जाते है अपीलांट द्वारा निभाये गये। रामहेत की लडकिया किशनी,दौली स्वयं व विशनी के वारिसान ने भी दौराने दावा अपीलांट जगराम एवं मनरूप के हक मे उक्त आराजीयात के सबंध मे जो भी हक हकूक खातेदारी काश्तकारी जो उन्हे विरासत बतौर प्राप्त होने थे को बिना किसी दबाब के तर्क कर एक 100/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर हिस्सा तर्क (हक त्याग पत्र) तहरीर तकमील कर नोटिरी पब्लिक से दिनांक 12.6.97 को तस्दीक कराकर अपीलांटगण को सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार उक्त आराजीयात के सारे हक हकूक हम अपीलांट मनफूल व जगराम मे निहित हो चुके है। जिसकी पूरी जानकारी शुरू से ही आज तक उक्त आराजीयात मे हक हकूक रखने वाले सभी व्यक्तियो को व रेस्पो0 संख्या 1 ता 16 व इनके पूर्वजो ठण्डी,रामस्वरूप,बद्री,छगन एवं उनके भी पूर्वज केशो व लटूरिया को भी रही है। अपीलांटगण का दावा रेस्पो0 संख्या 1 ता 16 के पूर्वज ठण्डी,रामस्वरूप, बद्री व छगन के विरूद्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

न्यायालय हाजा से दिनांक 30.9.85 को डिक्री हो चुका था। जिसकी अपील राजस्व मंडल मे विचाराधीन थी, को छिपाकर गलत व निराधार,मिथ्या तथ्य दर्ज कर अपीलांटगण के विरूद्व रेस्पो0 नया दावा व दर.पेश की गई थी जो रेसज्यूडिकेटा है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इतने मुख्य बिन्दु को अनदेखा कर प्रार्थना पत्र सायलान मे दिनांक 13.3.2001 को मौका रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने का आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। उक्त आदेश हर हाल मे मंसूख किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र टी आई मु0न0 90/1992 निर्णय दिनांक 13.3.2001 उनवानी ठण्डी बनाम गुल्लो पारित होने का भी उक्त प्रकरण पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव ना मानकर भारी कानूनी भूल की है। जबकि दिनांक 13.3.2001 के आदेश के खिलाफ अपीलांटगण द्वारा न्यायालय हाजा मे अपील पेश की जा चुकी है और उक्त प्रकरण सबज्यूडिश होने के कारण अपीलांटगण को पाबंद कराने का कोई अधिकार विधिक प्राप्त नही है। हम अपीलांट संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार होने के नाते भूमि को रहन बय करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। गैरसायलान रेस्पो0 को हम अपीलांटगण को पाबंद कराने का किसी प्रकार का कोई अधिकारी प्राप्त नही है। रेस्पो0सायलान का विवादित भूमि मे कोई हक हकूक खातेदारी काश्तकारी नही है ना ही कभी रहा है। हम अपीलांटगण के हक हकूक टी आई जारी होने से प्रभावित होते है। गैरसायलान के हक हकूको पर किसी प्रकार का कोई आघात नही है ना ही गैरसायलान का ऐसा केस है जिसमे वह अपना प्रथम दृष्टया केस साबित कर सके। धारा 52 टी पी एक्ट के प्रावधान इस प्रकरण मे लागू नही होते है। अपीलांटगण को भूमि बेचान करने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। बेचान से प्रकरण मे कोई पेचीदगी नही है। अपीलांटगण संख्या 1 व 2 को खसरा न0 109 के रकबे मे से 1/2 हिस्सा खातेदार होने के नाते हमने साधिकार रूप से जमीन को विक्रय कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपीलांट संख्या 7 के हक मे तस्दीक कराया है जो विधिक होने पर प्रभावी है और इस बयनामे का प्रभाव शून्य होने का कोई प्रश्न ही नही है। बयनामा बैध है और वर्तमान मे 1/2 हिस्से पर अपीलांट संख्या 7 काबिज काश्त है। बयनामे को प्रभावशून्य घोषित कराने का रेस्पो0 को कोई अधिकार हासिल नही है। अपीलांट संख्या 1 व 2 की मां भौरी पुत्री पून्या वादग्रस्त आराजीयात की पून्या की पुत्री होने के नाते पून्या के जीवनकाल से ही संयुक्त खातेदार काश्तकार रही है। और पून्या के मरने के बाद अपीलांट संख्या 1 व 2 की मां वादग्रस्त आराजीयात की बतौर हक वारिस कानूनी काबिज है और काबिज थी। रेस्पो0 के विरूद्व भौरी बनाम ठण्डी वगै0 दावा 88,188,183 आर टी एक्ट दिनांक 30.9.85 को डिक्री हो जाने पर अपीलांट संख्या 1 व 2 की मां ने रेस्पो0 से कब्जा वापिस प्राप्त कर लिया है। तब से ही मृतक भौरी व हम अपीलांट संख्या 1 व 2 भूमि पर बतौर खातेदार काबिज है। मृतक सांवलिया के 1/2 हिस्सा का नामा0 भरे जाने का आदेश दिनांक 8.9.78 को मिसल न0 32 रज्यू दिनांक 7.8.78 मे तहसीलदार करौली द्वारा निर्णय पारित किया है और उसकी पालना नामा0 संख्या 18 भौरी पुत्री पून्या के हक मे स्वीकृत होकर खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सवंत 2032–35 मे अमल हुए है। जिन्हे रेस्पो0 अथवा उनके पूर्वज ठण्डी वगै0 द्वारा कभी आज तक चेलेन्ज नहीं किया गया है। आदेश तहसीलदार दिनांक 8.9.78 से रेस्पो0 बाध्य है। और उक्त आदेश अंतिम है। उक्त आदेश अपीलांटगण न0 1 व 2 एवं रेस्पो0 तथा उनके पूर्वज ठण्डी वगै0 की उपस्थिति मे तहसीलदार करौली द्वारा पारित किया गया है। जिसमे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रेस्पो0 द्वारा वसीयतनामा दिनांक 2.7.77 को सांमलिया द्वारा ठण्डी के हक मे करना नही बताया है। वादी मृतक ठण्डी रेस्पो0 के पूर्वज ने भौरी के दावा करने के बाद अपने मेल के व्यक्तियो से तथाकथित वसीयतनामा फर्जी तैयार किया है जिससे रेस्पो0 ठण्डी को मृतक सांमलिया की जायदाद के कोई हक हकूक प्राप्त नही होते है। मृतक सांवलिया ने अपने जीवनकाल मे मे ठण्डी के हक मे कोई वसीयत नही की है ना ही करवाई है ना ही अपने हस्ताक्षर निशानी कराये है। तथाकथित वसीयत विधिवत नही है फर्जी है। भौरी व भौरी के पुत्र जगराम व मनफूल मृतक सांमलिया के जीवनकाल मे ही भूमि वादग्रस्त पर बतौर सिकमी काश्तकार काबिज रहे है जो धारा 19 आर टी एक्ट के तहत भी भौरी व अपीलांट संख्या 1 व 2 जगराम व मनफूल को मृतक सांमलिया के खातेदारी की भूमि मे खातेदारी अधिकारी दिनांक 29.12.69 से पूर्व बतौर सिकमी कब्जा काश्त होने से स्वतः ही प्राप्त हो चुके है। रेस्पो0 किसी प्रकार की कोई घोषणा व वयनामा शून्य कराने के अधिकारी नही है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी अधिकार रेस्पो0 साबित होने पर भी रेस्पो0 के हक मे टी आई प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे विधि की भारी त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.4.21 निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाब व दस्तावेजो पर कोई गौर नही करके बगैर गुणावगुण के आधार पर विचार किये एवं बिना किसी विवेचना के सरसरी आदेश दिनांक 19.4.21 को पारित करने मे भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायलान रेस्पो0 के हक मे आदेश दिनांक 19.4.21 जारी करते वक्त किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन के बिन्दुओ पर कोई विचार नही किया ना ही कोई विवेचना की ना ही अपीलांटगण के हक हकूको पर होने वाले कुठाराघात व हमे हो रही भारी असुविधा व अपूर्णनीय क्षति पर विचार किया ना ही कोई इस सबंध मे स्पष्ट विवेचना की है ना ही कोई विस्तृत आदेश पारित किया है। निर्णय आदेश दिनांक 19.4.21 अधिनस्थ न्यायालय पूरी तरफ अवैध व विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजीयात मुन्र्दजा अपील पैरा संख्या 2 अपीलांटगण गैरसायलान के खातेदारी कब्जे काश्त की है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 16 ना तो खातेदार काश्तकार है ना ही उनके विवादित भूमि कोई हक हकूक है। खातेदारान के विरूद्व किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी माईण्ड एप्लाई किये जल्दबाजी मे निर्णय पारित किया है जो हर सूरत मे अपास्त कर अपील अपीलांट स्वीकार कर टी आई रेस्पो0 संख्या 1 ता 16 धनसिह वगै0 बनाम मनफूल वगै0 खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांटगण को 10.8.21 को तारीख पेशी के दिन न्यायालय मे आने पर हुई। कोविड 19 के चलते अदालतो मे कामकाज बंद था और सुनवाई भी नही हो रही थी। कोविड 19 महामारी के उत्पन्न परिस्थितियों को मद्वेनजर रखते हुए अपील पेश करने मे हुई देरी के समय को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है। फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न किया गया है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.4.21 को अपास्त फरमाया जाकर दर0टी0आई0 मय खर्चा खारिज फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर अपील पेश की गई है। अपीलांटगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.3.01

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की रिकार्ड एवं मौके की स्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किया हुआ है फिर भी अपीलांटगण द्वारा उक्त आदेश की गलत प्रकार से व्याक्ख्या कर वादग्रस्त आराजीयात को बेचान करने पर आमादा रहे है। जिसके कारण रेस्पो0/प्रार्थीगण के हक एवं अधिकारो पर आघात है। वादग्रस्त आराजीयात के बाबत राजस्व मंडल द्वारा अपीलांटगण के पक्ष मे पारित डिक्री निरस्त हो चुकी है। धारा 52 टी पी एक्ट के तहत अपीलांटगण को भूमि को रहन बय करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। यदि दौराने दावा वादग्रस्त आराजीयात को रहन बेचान कर दिया जाता है तो पक्षकारान के मध्य अनावश्यक पैचीदगी उत्पन्न होगी एवं दावे का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.3.2001 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने के आदेश दिये गये है। जबकि अपीलांट/गैरसायल संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए दौरोन स्थगन खसरा न0 109 मे से 1/2 हिस्सा का बेचान कर दिया गया है। जो धारा 52 टी पी एक्ट के प्रावधानो के विपरीत है। दौराने दावा विवादित जमीन का बेचान नही किया जा सकता है जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि वादग्रस्त आराजीयात मे रेस्पो0 का किसी प्रकार का हक एंव अधिकार नही है। जबकि सत्यता यह है कि वादग्रस्त आराजीयात मे रेस्पो0 के हक एवं अधिकार पूर्णतया अपने हिस्से तक निहित है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि रामहेत की लडकिया विशनी,किशनी व दौली द्वारा दौराने दावा अपीलांट जगराम एवं मनरूप के हक मे उक्त आराजीयात के बाबत बिना किसी दबाव के तर्क कर एक 100/–रूपये के स्टाम्प पर हिस्ता तर्क अर्थात हक त्याग किया गया है। यहाँ यह तथ्य समाचीन है कि 100/–रूपये के स्टाम्प के आधार पर किसी के अधिकार त्याग नही किये जा सकते है वह स्टाम्प अनरजिस्टर्ड स्टाम्प है जिसकी कोई विधिक मान्यता कानूनन नही है। इस प्रकार उक्त स्टाम्प प्रभावहीन है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात के बाबत रेस्पो0 द्वारा तथ्य छिपाकर नया दावा व दर0 पेश की गई है। यदि अपीलांट को इस प्रकार की उज्रदारी करनी थी तो उनको अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था। सायलान/ रेस्पो0 द्वारा यह दुसरा दावा व दर0 अधिनस्थ न्यायालय मे इसलिए पेश की कि पूर्व मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.3.01 की पालना मे जमाबंदी मे उसका अमल दरामद नही हो सका एवं वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 109 मे से 1/2 हिस्से का बेचान अपीलांटगण द्वारा गैरसायल संख्या 15 को किया गया है। अपीलाट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की विवेचना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/रेस्पो0 एवं गैरसायलान/अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का पूर्ण रूप से विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। चूकि वादग्रस्त आराजीयात के बाबत दावा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे हक एवं अधिकारो का निर्धारण बाद साक्ष्य तय हो सकेगा। वादग्रस्त आराजीयात को अपीलांटगण बेचान करने पर आमादा होने के तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साबित मान जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय विधिक रूप से पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई मधोपुर

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया है। जिससे यह तथ्य सामनें आये है कि वादग्रस्त आराजीयात के बाबत पूर्व मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.3. 2001 को निर्णय पारित करते हुए उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजीयात की रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने के आदेश पारित किये गये है। वादग्रस्त आराजीयात पर स्थगन होने के दौरान भी अपीलांट/गैरसायलान संख्या 1 व 2 द्वारा खसरा न0 109 मे से 1/2 हिस्सा गैरसायल संख्या 15 को जरिये बयनामा विकय किया गया है यह तथ्य उभयपक्ष का स्वीकृत तथ्य है। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 13.3.2001 का अमल जमाबंदी मे नही होने के कारण एवं वादग्रस्त आराजीयात को अपीलांटगण/गैरसायलान द्वारा बेचान करने पर आमादा होने के कारण दुसरा वाद व दर0 पेश की गई है। वादग्रस्त आराजीयात के हक एवं अधिकार दावे मे साक्ष्य के उपरान्त तय हो सकेगे। हस्तगत प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमे केवल प्राईमाफेसी केस ,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति को देखा जाना है। वादग्रस्त आराजीयात के सबंध मे दावा अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। यदि दौराने दावा वादग्रस्त आराजीयात मे किसी प्रकार का रहन बेचान होता है तो दावे का कोई महत्व नही रहेगा। जैसा की अपीलांटगण द्वारा पूर्व मे स्थगन के दौरान भी खसरा न0 109 मे से 1/2 हिस्से का बेचान गेरसायल संख्या 15 को किया जा चुका है। जो धारा 52 टी पी एक्ट के प्रावधानो के विपरीत है। इसी प्रकार से सायलान/रेस्पो0 को दुसरा दावा एवं दर0 पेश करना आवश्यक हुआ है। इस प्रकार रेस्पो0 का प्राईमाफेसी केस साबित है। यहॉ यह तथ्य समाचीन है कि दोराने दावा यदि वादग्रस्त आराजीयात मे अपीलांटगण द्वारा पुनःबेचान किया जाता है तो अनावश्यक रूप से पक्षकारो के मध्य वाद वाहुलता को बढावा मिलता है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी रेस्पो0के पक्ष मे साबित होता है तथा भूमि का दौराने दावा रहन बेचान होने पर रेस्पो0 को अपूर्णनीय क्षति होना संभव है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु अपीलांट/गैरसायलान के पक्ष मे साबित नही होते है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन साबित नही है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 आर टी एक्ट के प्रावधानो के दृष्टिगत एवं पक्षकारान के मध्य वाद वाहुलता नही बढे एवं आराजीयात का रहन बेचान नही हो इस महत्वपूर्ण तथ्यों को दृष्टिगत ही सायलान/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र विधिवत रूप से स्वीकार किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि सामने नही आने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खॉरिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के मु0नं0 19/20 मे पारित निर्णय दिनांक 19.4.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर